पत्रांक 15/एम 1–102/2014–1111
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

एच0आर0 श्रीनिवास,(भा0प्र0से0)
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक 11/6/ 2014

विषयः– बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम 2012 में निहित निदेशों तथा विभागीय निदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आपके पत्रांक 1123 दिनांक 04.06.2014 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय पत्रांक 363 दिनांक 21.02.2013 के द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम 2012 की प्रस्तावना, संशोधन एवं परन्तुक में अंकित तथ्यों के आलोक में प्रयोगशाला से जुड़े वर्ग III के कर्मियों को, जिन्हे विभागीय पत्रों के आधार पर पदनामित प्रयोग प्रदर्शक के रूप में रिडिजिगनेट किया गया था, को उनके मूल कोटि के विधिवत नियुक्ति के समय धारित स्वीकृत पदों के अनुरूप स्वीकार किए जाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया था। परन्तु करीब $1\frac{1}{2}$ वर्षों तक उक्त अधिनियम तथा विभागीय निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम न्यायादेश के आलोक में अब विभागीय मार्गदर्शन की अपेक्षा की जा रही है। यह आपके कर्तव्य के प्रति उदासीनता तथा वादियों के साथ आपकी संलिप्ता का द्योतक है।

अतः पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपना स्पष्टीकरण विभाग में प्रस्तुत करें कि विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप में आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा क्यों नहीं की जाए? निर्धारित अवधि के अंदर स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में विभाग एकतरफा कार्रवाई हेतु स्वतंत्र होगा।

विश्वासभाजन,

10/6

(एच0आर0 श्रीनिवास)
सरकार के विशेष सचिव